तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं. अहकाम की ता...
	30/6/2025	

वकील अपीलान्ट उप०। अपीलान्ट वकील द्वारा प्रस्तुत अपील का दोहरान करते हुए निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 38 ख०न० 372/20 का रेस्पोडेन्ट के हक में अपीलार्थी ~~द्वारा~~ ने कोई दिनांक 14/10/2014 को हक त्याग नही किया बल्कि अपीलार्थी ने रेस्पो० के हक में खाता संख्या 26 का ही हक त्याग किया है लेकिन रेस्पो० ने ग्राम पंचायत गोठड़ा से मिलकर खाता संख्या 26 के नामा० के साथ ही खाता संख्या 38 का भी नामान्तकरण अपने नाम खुलवा लिया। जो बिना किसी दस्तावेजो के खुलवाया गया। ग्राम पंचायत गोठड़ा द्वारा नामा० संख्या 1151 दिनांक 12/03/2015 वाके ग्राम जयसिंहपुरा का निरस्त किया जाकर अपीलार्थी व रेस्पो०न०1 के बराबर-बराबर हिस्से का नामा० खोलने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज व मूल नामा० जिल्द का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत हक त्याग पत्र में जयसिंहपुरा के खातासंख्या 26 व रावरा के खाता संख्या 45 का उल्लेख है जबकि ~~अपार्थी~~ अपीलार्थी के नाम रावरा की भूमि खाता संख्या 38 में दर्ज रिकॉर्ड थी। नामाकन खाता 26 व 38 के आधार खोला गया। जहां भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी अपीलार्थी द्वारा दो गांवो मे दर्ज भूमि का हक त्याग स्वेच्छा से किया गया। जो स्पष्ट है। इसलिए अपीलार्थीगणो द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल नामा० जिल्द तहसीलदार खण्डार को वापस भिजवाई जावे।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)